न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर.

विनोद वगैरह बनाम श्री कैलाश वगैरह

किस्म मुकदमा 212 RTA मु0न0 06 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म कीतामील में जारी हुए
09-10-19	प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण वाद में वास्ते तलब कर शीघ्र सुनवाई कर विड्रो करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। समस्त प्रार्थीगण सं. 1 से 5 उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में कथन किए कि परिवार व समाज के मोतबिरान व्यक्तियों के समझाने से अब वे उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं और वाद / अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र विड्रो करना चाहते हैं। उपस्थित प्रार्थीगण को प्रार्थना-पत्र पढ़कर सुनाया गया जिन्होंने वाद / अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र विड्रो किये जाने एवं आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहने बाबत् सहमति ज़ाहिर की। उक्त सहमति स्वरूप समस्त प्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाए गए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था तलबी व जवाब में नियत है। अतः लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र विड्रो की अनुमति दी जाकर यह प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जसमीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	वा.पी.म. विनोद (1) अनिल (2) सुशील (3) शारदा (4) लक्ष्मी (5) गायत्री (6)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Jasmeet Singh Sandhu
Date: 2019.12.09 12:14:30 IST
Reason: SelfAttested